

जिला - किशनगंज
कुल रिक्तियाँ - पाँच (05)

सकल प्राप्तांकों के आधार पर अधोलिखित शर्तों के अध्यधीन निम्नलिखित अभ्यर्थियों को रिक्तियों के विरुद्ध औपबन्धिक रूप से नियुक्ति हेतु पात्र पाया जाता है -

| क्र0 सं0 | नाम | पिता का नाम | साक्षात्कार सूची में क्रमांक | प्राप्तांक |
|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्री शिवनारायण साह | रामशरण साह | 2 | 13 |
| 2 | श्रीमती शहनाज नूरी | स्व० शफी अहमद | 1 | 12 |

शर्तें :-

1. अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि -
 - (i) वे किसी सक्षम न्यायालय से दोष सिद्ध नहीं करार किए गए हैं,
 - (ii) वे उस जिले में नियमित विधि व्यवसाय में हैं,
 - (iii) वे किसी लाभ के पद पर नियुक्त नहीं हैं, एवं
 - (iv) दिवालिया घोषित नहीं है।
2. नोटरी अधिनियम-सह-नोटरी नियमावली में नियुक्ति हेतु निर्धारित विहित शुल्क प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा बिहार सरकार के निर्धारित शीर्ष में जमा किया जाना है।

इस आशय का शपथ-पत्र एवं शुल्क अभ्यर्थी को चयन की सूचना प्राप्ति से एक माह के अन्दर समर्पित करना होगा।


 (विनोद कुमार सिंह)
 सचिव-सह-विधि परामर्शी,
 विधि विभाग, बिहार।

**किशनगंज जिला के नोटरी नियुक्ति हेतु साक्षात्कार में उपस्थित
अभ्यार्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों की सूची :-**

| क्र0सं0 | आवेदक का नाम / पिता का नाम | विभाग में आवेदन प्राप्ति की तिथि | Total | Grace | Grand Total |
|---------|---|-------------------------------------|-------|-------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | | | |
| 1 | श्रीमती शहनाज नूरी पिता— स्व0 शफी अहमद | 28.02.2007 | 10 | 2 | 12 |
| 2 | श्री शिवनारायण साह | 25.08.86 | 8 | 5 | 13 |
| 3 | मो नुरुल हुसैन पिता— मोहीउद्दीन अहमद | 03.10.1991 | Ab | Ab | Ab |